

उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला साक्षरता समिति)

- : अति अल्पकालीन निविदा :-

रामगढ़ जिला में साक्षर भारत योजना अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से नीचे अंकित शर्तों के आधार पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। उपलब्ध कराने वाले समाग्रियों की सूची निम्नवत है :-

1.	ऑफिस टेबल	गोदरेज कम्पनी मॉडल - T31
2	ऑफिस चेयर	गोदरेज कम्पनी मॉडल - CH 7
3	दरी	खादी कम्पनी में 8x10 Fit / 9 x 12 Fit

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला साक्षरता समिति, नया समाहरणालय, छत्तरमाण्डू, रामगढ़ 'B Block' दुसरा तल्ला कार्यालय में दिनांक 07/03/2017 को 02:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जमा करेंगे। दिनांक 07/03/2017 को 03:00 बजे अपराह्न क्रय समिति एवं अधोहस्ताक्षरी के बीच खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा की शर्तें वेबसाइट www.ramgarh.nic.in पर प्रकाशित की जा रही है।

निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा (Technical Bid)

निविदादाता को तकनीकी (Technical Bid) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र पृथक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा :-

- (i) बिक्री दर/TIN निबंध प्रमाण-पत्र।
- (ii) बिक्री कर विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष का 2015-16 तक का बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण-पत्र।
- (iii) आपूर्तिकर्ता/संस्थान के नाम निर्गत PAN CARD की छायाप्रति।
- (iv) गोदरेज कम्पनी के सामग्री में केवल गोदरेज कम्पनी के अधिकृत विक्रेता के ही निविदा स्वीकार किए जायेंगे।
- (v) निविदादाता को निविदा के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट "नावा दीया" जिला साक्षरता समिति, रामगढ़ के पदनाम से संलग्न करना होगा।

2. वित्तीय निविदा (Financial Bid)

निविदादाता को वित्तीय निविदा (Financial Bid) के तहत मुहरबंद लिफाफा में निविदा देना होगा। तकनीकी निविदा पूर्व रहने की स्थिति में ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निम्न कोटी के नमूने पाये जाने पर एल0 ॥ की निविदा अनुमोदित की जाएगी तथा अनुमोदित नमूने के अनुरूप सामग्री आपूर्ति करनी होगी।
4. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का नमूना जिला साक्षरता समिति, रामगढ़ के कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नमूने से भिन्न सामग्री की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।
6. निविदा में परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।
7. आदेशित सामग्री की आपूर्ति जिला के सभी प्रखण्ड साक्षरता समिति का कार्यालय तक पहुंचा कर करनी होगी। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
8. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सामग्री की आपूर्ति 20/03/2017 तक करना अनिवार्य होगा।
9. निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन जप्त कर लिया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।
10. निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, रद्द करने अथवा कार्य आदेश को निविदादाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रामगढ़ को होगा।

ह0/
उपायुक्त,
रामगढ़।